न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
92/2019 प्रा0 पत्र	22.03.2019	28.05.2025

उनवान

1. सोहनलाल पुत्र धन्नालाल खटीक, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा। –– प्रार्थी

बनाम

1. लादुलाल पिता श्री भैरूलाल तेली, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती लाड पिता श्री भैरूलाल तेली, निवासी कोद्कोटा तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्रीमती कमला पिता श्री भैरूलाल तेली, नि0 कोद्कोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती जड़ाव पत्नि श्री भैरूलाल तेली, नि0 कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. लक्ष्मीलाल उर्फ गोपाल पिता गोकलजी, नि0 कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. चेतन पिता गोकलजी, कलाल, निवासी कोदुकोटा तहसील व जिला भीलवाडा
7. हीरा पुत्री गोकलजी, कलाल, निवासी कोदु कोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. माया पुत्री गोकलजी, कलाल, निवासी कोदु कोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. प्रेम देवी पत्नि गोकल जी कलाल, निवासी कोदु कोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०) –– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् रेकार्ड में नया मार्ग (रास्ता) दर्ज कराये जाने व खुलासा रखाया जाने बाबत्

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता प्रार्थी श्री अम्बालाल कुमावत, उपस्थित।

2–विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं।

3– विपक्षी संख्या 10 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 3331 रकबा 3–04 बिस्वा प्रार्थी के खाते में दर्ज होकर प्रार्थी की आराजी है जिसकी जमांबन्दी की नकल संवत् 2069–2072 संलग्न है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात में आवागमन का मुख्य मार्ग आम रास्ते से विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 के खाते की आराजी नम्बर 3321 रकबा 14 बिस्वा व 3322 रकबा 12 बिस्वा की दक्षिण मेड़ पर व आराजी संख्या 3343 व 3342 की उतरी मेड के मध्य होते हुए प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 3331 में आता–जाता है इस रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में रोशनाई (हाइलाइट) किया गया है जो इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। उक्त अनुसार दर्शित रास्ता मौके पर करीब 20 फिट चौड़ी जगह रास्ते के रूप में प्रार्थी के बाप दादाओ के समय से सज बैल इसी आराजी के उतरी मेड़ को रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन का उक्त अनुसार दर्शित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है यही एक मात्र प्रार्थी की आराजी में आने–जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। लेकिन राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में आराजी संख्या 3321, 3322 एवं 3343 व 3342 में रास्ता दर्ज नहीं है जबकि प्रार्थी की आराजी संख्या 3331 में आने–जाने के लिए रास्ते बाबत् आये दिन विवाद उत्पन विपक्षीगण करते रहते है एवं आवागमन में अवरोद्ध उत्पन करते है इस कारण प्रार्थी को उक्त चारों आराजीयात के बीचों–बीच में संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित रोशनाई (हाइलाईट) किये गये भू–भाग में 20 फिट चौड़ाई में रास्ता कायम करते हुए राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक है, इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के आराजी नम्बर 3331 के उत्तर की ओर आराजी नम्बर 3330 कृषि भूमि के मालिक श्री रामेश्वर लाल पिता देबीलाल खटीक (आरा मशीन वाले) विपक्षीगण प्रार्थी से नाजायज रंजिश रखते है एवं उक्त आराजीयात के संबंध में पहले कई बार प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य लड़ाई–झगड़ा हुआ है इस संबंध में विपक्षीगण प्रार्थी के उपर पुलिस थाने में झूठे मुकदमें दर्ज करा चुके है जिससे प्रार्थी को काफी मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक दृष्टि से मानसिक उत्पीडन होकर प्रताडित कर रहे है जिससे काफी परेशान है। प्रार्थी द्वारा धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रास्तें के उपयोग के लिये उक्त अनुसार वांछित भूमि का कानुन के अनुसार निर्धारित की जाने वाली मुआवजा राशि/कीमत अदा करने हेतु प्रार्थी नियमानुसार तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार रास्ता 20 फीट कायम करते हुये रास्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। रजिस्टर्ड नोटिस डिलिवर रिपोर्ट पेश की विपक्षीगण के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 09 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 118 दिनांक 05.05.2025 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आराजी नम्बर 3331 में आने जाने के लिये आराजी नम्बर 3342 व 3343 की उतरी मेड के मध्य रास्तें की मांग की है वादी के खेत (खातेदारी भूमि) और सरकारी रास्ता उपलब्ध एवं पडौसियान की खातेदारी भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है। उपरोक्त नजरी नक्शें के अवलोकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक रास्ता आराजी नम्बर 3368 से वादी के खसरे 3331 की निकटतम दूरी 500 फीट है जबकि एक अन्य रास्ते आराजी नम्बर 4089/3336 से वादी के आराजी नम्बर 3331 के मध्य आराजी नम्बर 3332 की दक्षिणी मेड पर होकर रास्ता दिया जाता है तो दूरी मात्र 140 फीट है।

उपरोक्त आराजी नम्बर 3332 वर्तमान में जिन खातेदारों के नाम पर दर्ज है सभी खातेदार उक्त दावें में प्रतिवादी है क्योंकि आराजी नम्बर 3342 व 3343 भी इन्ही खातेदारों का है जो आराजी नम्बर 3332 के खातेदार है। इन्हे विधिवत रूप से सूचित किया गया था किन्तु बावजूद सूचना समस्त प्रतिवादीगण मौके पर अनुपस्थित रहें। रास्तें हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 140 X 20 = 2800 वर्गफीट है। विपक्षीगण को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर से भुगतान हेतु सहमत है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: <u>आदेश</u> ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि की ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 3331 रकबा 3–04 बिस्वा में आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 05 से लगायत 09 की आराजी नम्बर की दक्षिणी मेड पर प्रस्तावित रकबा 0.0260 हैक्टेयर (140 X 20 = 2800 वर्गफीट) भूमि सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा प्रस्तावित रास्तें के क्षेत्रफल की राशि की गणना इस प्रकरण में आदेश दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी.दर की दो गुणा राशि जो विपक्षी संख्या 05 से लगायत 09 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 05 से लगायत 09 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा